फर्द अहकाम

(नियम- 13)

(General Rules (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No. 91)

...त श्रीमान सहायक कलेक्टर मुकाम डीडवाना

...लाल S/o रुपाराम बनाम कोजाराम S/o रामकरण

...मा राजस्व-धारा 53, 88, 188 R.T.A. सं. 415/ सन् 22

क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
?	आज यह दावा वादी ने प्रतिवादीगण के विरुद्ध अ/धारा 53, 88, 188 R.T.A. ... पेश किया दर्ज हो प्रति... ... जारी हो। मिसल दिनांक: 3/11/22 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना 3/11/22 वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं. 06, 18, 19, 20 बावजूद तामील के अनुपस्थित/अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 01, 02, 04, 05, 07 से प्रतिवादी सं. 17 की तरफ से वकील श्री शरीफ खान व श्री ... ने वकालतनामा पेश किया/ प्रतिवादी सं. 03 जवाब पेश किया। प्रतिवादी सं. 03 जवाब पेश हेतु पत्रावली दिनांक 25/11/22 को पेश हो। 25/11/22 पत्रावली पेश हुई वकीलान उपस्थित प्रतिवादी सं. 03 के समन तलबाना पेश करने हेतु अंतिम अवसर दिया जाता है। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 16/1/22 को ... 16/1/22 पत्रावली पेश हुई ... कार्य ... है, मिसल दिनांक 18/1/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/23 पत्रावली पेश हुई । बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 8/1/24 को पेश हो । [signature]	
8/1/24 पत्रावली पेश हुई । बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 9/2/2024 को पेश हो । [signature]	
9/2/24 पत्रावली पेश हुई । बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 13/3/24 को पेश हो । [signature]	
13/3/24 पत्रावली पेश हुई । श्रीमान P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है, मिसल दिनांक 19/4/24 को पेश हो । [signature]	
22/4/24 दिनांक 19, 20, 21.4.24 को अवकाश होने पर आज पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 28/5/24 को पेश हो। [signature]	
28/5/24 पत्रावली पेश हुई । बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा है, मिसल दिनांक 27/6/24 को पेश हो । [signature]	
27/6/24 पत्रावली पेश हुई । श्री मान् P.O. सा. अवकाश/अन्य कार्य/दौरे पर पधारे है। मिसल दिनांक 15/7/24 को पेश हो। [signature]	
वकील उपस्थित। बहस सुनी गई तथा रेकॉर्ड [illegible] वादी का वाद डिक्री किया जाता है, आदेश [illegible] लिखा जाकर शामिल पत्रावली है। पक्ष डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी डीडवाना.	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– विकास मोहन भाटी, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 415/2022 दायर दिनाँक 12.10.2022

वादी

1. मदनलाल पुत्र रूपाराम उम्र 54 वर्ष जाति मेघवाल निवासी मामड़ोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

प्रतिवादी

1. कैलाश पुत्र श्री रामकरण
2. देवाराम पुत्र श्री रामकरण
3. सेवाराम पुत्र श्री रामकरण
4. भंवराराम पुत्र श्री रामकरण
5. श्यामाराम पुत्र श्री रामकरण
6. सुरेश पुत्र श्री रामकरण
7. गोविन्दराम पुत्र श्री रूपाराम
8. रामनिवास पुत्र श्री रूपाराम
9. हरीराम पुत्र श्री रूपाराम
10. दुर्गाराम पुत्र श्री रूपाराम
11. प्रभुराम पुत्र श्री दानाराम
12. बुद्धाराम पुत्र जेठाराम
13. विक्रम पुत्र जेठाराम
14. सुमन पुत्री श्री जेठाराम
15. सम्पत पुत्री श्री जेठाराम
16. सुन्दर देवी पत्नी जेठाराम
17. सुण्डाराम पुत्र मंगाराम
18. पतासी पत्नी चेलाराम?
19. कमली पत्नी मेहरामाराम समस्त जाति मेघवाल निवासीगण मामड़ोदा तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0
20. तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत्

घोषणा खातेदारी, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

1. श्री असलम खांन वकील वादी।
2. श्री मो0 शरीफ शैरानी वकील प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक 15.07.2024

वाद के तथ्य संक्षेप्त में इस प्रकार है कि खेत खसरा सं0 269 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गै0मु0 बाड़ा, खसरा सं0 312 रकबा 0.2100 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 313 रकबा 0.1400 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 351 रकबा 0.5200 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 581/350 रकबा 4.6100 हैक्टे0, खसरा सं0 582/350 रकबा 4.6100 हैक्टे0, खसरा सं0 348 रकबा 0.0500 हैक्टे0 सरहद मामड़ोदा पटवार हल्का मामड़ोदा, भू0अभि0 नि0 क्षेत्र केराप तहसील डीडवाना में अवस्थित है।

यह है कि उक्त विवादग्रस्त जमीन में वादी व प्रतिवादीगण के मौखिक बंटवारा हो चुका है, तथा मौके पर जमीन अनुसार बंट व सिवे–नीवे [illegible] तथा मौके अनुसार खसरा सं0 582/350 व 581/350 के खातेदार कब्जे काश्त [illegible] हो[illegible] व विधिवत बंटवारा नही हुआ है।

यह है कि वादी व प्रतिवादी सं0 7 ता 10 का ख[illegible]0 582/350 रकबा 4.6100 हैक्टे0 में नजरी नक्शा अनुसार 0.7284 हैक्टे0 में कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा खसरा सं0 581/350 रकबा 4.6100 हैक्टे0 में प्रतिवादी स0 1 ता 6 के [illegible]00 हैक्टे0 व प्रतिवादी सं0 11 ता 16 के 0.4056 हैक्टे0 व इसी जमीन में से प्रतिवादी सं0 11 प्रभुराम के 0.0400 हैक्टे0 भूमि कब्जा काश्त में चला आ रहा है। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में करवाना आवश्यक व न्याय संगत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

Vikas

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

यह है कि खसरा सं0 269 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गै0मु0 बाड़ा, खसरा सं0 312 रकबा 0.2100 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 313 रकबा 0.1400 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 351 रकबा 0.5200 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 581/350 रकबा 4.6100 हैक्टे0, खसरा सं0 582/350 रकबा 4.6100 हैक्टे0, खसरा सं0 348 रकबा 0.0500 हैक्टे0 सरहद मामड़ोदा में वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक बंटवरा होकर अपने–अपने हक हिस्से पर काबिज है, लेकिन बंटवारा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस नही होने के कारण आये दिन सीमा विवाद होता रहता है, जिस कारण से वादी को यह दावा बाबत बंटवरा का पेश करना लाजमी आया है। वाद के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा वाद का अभिन्न अंग है।

प्रार्थना वादी की इस प्रकार है :–

1. **वाके सरहद मामड़ोदा के खेत खसरा सं0 351 रकबा 0.5200 हैक्टे0 का बंटवारा नजरी नक्शा अनुसार निम्न प्रकार है :–**
   - वादी व प्रतिवादी सं0 7 ता 10 के संयुक्त रूप से 0.0700 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
   - प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के 0.0400 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
   - प्रतिवादी सं0 11 ता 16 के 0.1600 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
   - प्रतिवादी सं0 17 सुण्डाराम के 0.2500 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
2. **वाके सरहद मामड़ोदा के खेत खसरा सं0 312 रकबा 0.2100 हैक्टे0 का बंटवारा नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है:–**
   - प्रतिवादी सं0 11 ता 16 के 0.1200 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
   - प्रतिवादी सं0 17 सुण्डाराम के 0.1100 हैक्टे0 भूमि नजरी नक्शा अनुसार बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
3. **वाके सरहद मामड़ोदा के खेत खसरा सं0 581/350 रकबा 4.6100 हैक्टे0 का बंटवारा नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है:–**
   - प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के 0.0800 हैक्टे0 व प्रतिवादी सं0 11 ता 16 के 0.4056 हैक्टे0 यानि नजरी नक्शा अनुसार संयुक्त कुल 0.4856 हैक्टे0 भूमि बंट व कब्जा काश्त में रखी जावें।
   - प्रतिवादी सं0 11 प्रभुराम के इसी खसरा में से 0.0400 हैक्टे0 भूमि कब्जा काश्त व बंट में रखी जावें।
   - शेष भूमि 2.4656 हैक्टे0 में वादी व प्रतिवादी सं0 7 ता 10 व प्रतिवादी सं0 18, 19 का संयुक्त रूप से हिस्सानुसार व इसी खसरे में प्रतिवादी सं0 11 प्रभुराम के पूर्व में अवस्थित जमीन 1.6187 हैक्टे0 बची है, उसमें केवल वादी मदनलाल व प्रतिवादी सं0 7 ता 10 के संयुक्त रूप से रखी जावें।
4. **वाके सरहद मामड़ोदा के खेत खसरा सं0 582/350 रकबा 4.6100 हैक्टे0 बारानी 1 भूमि का का बंटवारा नजरी नक्शा निम्न प्रकार से है:–**
   - वादी व प्रतिवादी सं0 7 ता 10 के संयुक्त रूप से 0.7284 हैक्टे0 व शेष भूमि 3.8816 हैक्टे0 भूमि प्रतिवादी सं0 11 ता 16 के संयुक्त रूप से बंट व हिस्से में रखी जावें।
5. **वाके सरहद मामड़ोदा के खेत खसरा सं0 269 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गै0मु0 बाड़ा का बंटवारा निम्न प्रकार से है:–**
   - वादी मदनलाल व प्रतिवादी सं0 7 ता 10 के [illegible] कब्जा काश्त में रखी जावें।
6. वाके सरहद मामड़ोदा के खेत खसरा सं0 313 रकबा 0.1400 [illegible] का बंटवारा निम्न प्रकार से है:–
   - प्रतिवादी सं0 1 ता 6 के सम्पूर्ण भूमि कब्जा काश्त [illegible] में रखी जावें।
7. वाके सरहद मामड़ोदा के खेत खसरा सं0 348 रकबा [illegible] हैक्टे0 भूमि का बंटवारा निम्न प्रकार से है:–
   - प्रतिवादी सं0 11 प्रभुराम के भूमि कब्जा काश्त व बंट में रखी जावें।

Vikas

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1, 2, 4, 5, 7 ता 17 की तरफ से वकील श्री शरीफ शैरानी ने वकालतनामा व इकबाली जवाब पेश कर वाद को स्वीकार करने पर सहमति दी, शेष प्रतिवादीगण सं0 3, 6, 18, 19, 20 तामिलगी के बावजूद न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही प्रभाव में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस अपने वाद में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए दावा डिक्री किऍ जाने का निवेदन किया।

विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण ने वाद के अनुसार दावा डिक्री किए जाने पर सहमति व्यक्त की।

बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया सरहद मामड़ोदा पटवार हल्का मामड़ोदा, भू0अभि0 नि0 क्षैत्र केराप के आराजी खसरा सं0 269 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गै0मु0 बाड़ा, खसरा सं0 312 रकबा 0.2100 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 313 रकबा 0.1400 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 351 रकबा 0.5200 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 581/350 रकबा 4.6100 हैक्टे0, खसरा सं0 582/350 रकबा 4.6100 हैक्टे0, खसरा सं0 348 रकबा 0.0500 हैक्टे0 के वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 19 सहखातेदार है। वादी बाहमी बंटवारा के अनुसार विधिवत बन्टवारा करवाने की इस्तदुआ कर रहा है। प्रतिवादीगण बाहमी बन्टवारा की पुष्टि में इकबाली जबाब पेश कर स्वीकार किया है। प्रश्नगत भूमि के वादी व प्रतिवादीगण सं0 1 ता 19 सहखातेदार है। सहखातेदार होने के कारण वादी बन्टवारा करवाने का कानूनन अधिकारी है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिपेक्ष्य में वादी का हस्तगत वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

—:: आदेश ::—

दावा डिक्री सादिर कर सरहद मामड़ोदा पटवार हल्का मामड़ोदा, भू0अभि0 नि0 क्षैत्र केराप के आराजी खसरा सं0 269 रकबा 0.0600 हैक्टे0 गै0मु0 बाड़ा, खसरा सं0 312 रकबा 0.2100 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 313 रकबा 0.1400 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 351 रकबा 0.5200 हैक्टे0 बारानी 1, खसरा सं0 581/350 रकबा 4.6100 हैक्टे0, खसरा सं0 582/350 रकबा 4.6100 हैक्टे0, खसरा सं0 348 रकबा 0.0500 हैक्टे0 का बाईमीटस् एण्ड बाउन्डस से बन्टवारा कर इनकी वर्तमान खातेदारी के स्थान पर वाद के साथ पेश नजरीनक्शा अनुसूचि "अ" में वर्णितानुसार भूमि का वादी तथा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 19 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा अनुसूचि "अ" निर्णय व डिक्री का भाग होगा।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 15.07.2024 को सरे इजलास में सुनाया गया।

Vikas

(विकास मोहन भाटी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2024.09.30 12:51:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner